रजिस्टर्ड नं0 ए0 डी0--4
लाइसेन्स सं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 7 अगस्त, 2004 ई0 (श्रावण 16, 1926 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाँठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना में कार्यरत सामयिक संग्रह अमीन श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की रसीद बही जिसका विवरण निम्नांकित है, दिनांक 02-07-2004 को पूराप्रीसन चौराहे पर मोटर साइकिल एवं साइकिल से टकराने से झोले में रखे वसूली से संबंधित अभिलेख (विविध देय रसीद) तितर-बितर होकर गुम हो गयी, जिसकी सूचना स्थानीय थाना करछना में दी गयी है। उक्त रसीद बही अप्रयोगशुदा है उन्हें अनधिकृत घोषित किया जाता है तथा उनका प्रयोग अवैधानिक होगा तथा उस पर किया गया भुगतान इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि निम्नांकित रसीद बही किसी को मिले तो उसे तत्काल कार्यालय, तहसीलदार करछना, इलाहाबाद को वापस करने का कष्ट करें :

गुम हुयी रसीद बही का विवरण

जनपद	तहसील	रसीद बही का प्रकार	रसीद बही की संख्या	अप्रयोगशुदा रसीद बही की संख्या	प्रयोगशुदा रसीद बही की संख्या
1	2	3	4	5	6
इलाहाबाद	करछना	विविध देय	558501	558501से 558600 तक	-

दिनांक 21 जुलाई, 2004 ई0

हरि शंकर दूबे,
अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व),
इलाहाबाद।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[भूमि अर्जन अनुभाग]

संख्या 1245/भू0अ0-दो

17 जुलाई, 2004 ई0

नोटिस

[उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1966) की धारा 28 के अन्तर्गत नोटिस]

लखनऊ शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् ने लखनऊ शहर में "सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ" बनायी है। इस योजना में समाविष्ट भूमि की सीमायें निम्नवत् हैं –

उत्तर–लखनऊ सुल्तानपुर रोड खसरा संख्या 1051, ग्राम सरसवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या 626, ग्राम अहमामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

पूरब–खसरा संख्या 631, 639, 638, 640, 641, 642, 643, ग्राम अहमामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या 64, 50, ग्राम चक कजेहरा, परगना व तहसील मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या 646, ग्राम अहमामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या 3, 2, 1, 12, 15, 16, 17, 18, ग्राम चक कजेहरा, परगना व तहसील मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा, ग्राम हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

दक्षिण–नहर खसरा संख्या 367, 371, ग्राम निजामपुर मझगांवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या 281, 277, ग्राम बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या 319, ग्राम निजामपुर मझगांवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या 276, 275, ग्राम बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या 695 भाग, 721, 718, 721, 716, 710, 711, 712, ग्राम सेवई, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा, ग्राम सरथुआ, परगना व तहसील मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा बिरुरा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

पश्चिम–लखनऊ रायबरेली रेलवे लाइन की सीमा स्थित ग्राम बरौली खलीलाबाद, ग्राम शकूलरपुर, ग्राम हरिहरपुर, ग्राम मलाक, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ तथा सीमा दिलकुशा छावनी, परगना व तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या 1250, 1556, 1257, 1259, 1231, 1228, 1227, ग्राम सरसवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

यह घोषणा की जाती है कि जब परिषद् की राय में उपरोक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा, तो योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के सम्बन्ध में भूमि के स्वामी व उसमें स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आसुधार शुल्क उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के प्राविधान के अनुसार देय होगा।

उपरोक्त क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण, कार्यालय, आवास आयुक्त, भूमि अर्जन अनुभाग, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-15, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, भवन संख्या 2–सी,120, 121, 122 वृन्दावन योजना संख्या 2, रायबरेली रोड, लखनऊ में किसी भी कार्य, दिवस को 11.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ0 प्र0 सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से सम्बन्धित आपत्तियाँ कार्यालय, आवास आयुक्त, भूमि अर्जन अनुभाग, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ तथा कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–15, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, भवन संख्या 2–सी, 120, 121, 122 वृन्दावन योजना संख्या 2, रायबरेली रोड, लखनऊ में ली जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन का पूर्ण विवरण, ग्राम का नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही-सही अंकित होने चाहिये।

[7, 14 और 21-8-2004]

विद्या नन्द गर्ग,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD, LUCKNOW

[LAND ACQUISITION SECTION]

No. 1245/L.A.-II

July 17, 2004

NOTICE

[Notice under section 28 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act No. 1 of 1966)] :

In view to solve the acute housing problem of Lucknow, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme called Sultanpur Road Bhoomi Vikas Evam Grahsthan Yojna, Lucknow. The boundaries of the scheme comprised area as follows :

North–Lucknow Sultanpur Road, Khasara No. 1051, village Sarsawa, pargana Bijnaur, tehsil and district Lucknow and Khasara No. 626 village Ahmamau, pargana Bijnaur, tehsil and district Lucknow.

East–Khasara No. 631, 639, 638, 640, 641, 642, 643 village Ahmamau, pargana Bijnaur, tehsil and district Lucknow, Khasara No. 64, 50 village Chak Kajehra, pargana and tehsil Mohanlalganj and district Lucknow and Khasra 646 village Ahmamau, pargana Bijnaur, tehsil and district Lucknow and Khasara No. 3, 2, 1, 12, 15, 16, 17, 18, village Chak Kajebara, pargana and tehsil Mohanlalganj and district Lucknow and boundary of Village Hasanpur, Khewali, Pargana Bijnour, tehsil and district Lucknow.

South–Nahar Khasra No. 367, 371, village Nijampur, Majhigawan, pargana Bijnaur, tehsil and district Lucknow, Khasara No. 281, 277, village Barauna, pargana Bijnaur, tehsil and district Lucknow, Khasara No. 319, Village Nijampur Majgawa, Pargana Bijnour, Tehsil and district Lucknow, Khasara No. 276, 275 Village Barauna, Pargana Bijnour, tehsil and district Lucknow and Khasara No. 695 part, 721, 718, 721, 716, 710, 711, 712, village Sewai, pargana Bijnaur, tehsil and district Lucknow and boundary of Village Sarathuwa, pargana and tehsil Mohanlalganj and district Lucknow and boundary of Village Virura, pargana Bijnaur, tehsil and district Lucknow.

West–Boundary of railway line from Lucknow to Rae Bareli situated at Village Barauli Khalilabad, village Shakurpur, Village Hariharpur, Village Malak, pargana Bijnaur, tehsil and district Lucknow, boundary of Dilkusha Chawani, pargana Bijnaur, tehsil and district Lucknow and Khasara No. 1250, 1556, 1257, 1259, 1231, 1228, 1227, village Sarsawa, pargana Bijnaur, tehsil and district Lucknow.

It is declared that when by the execution of the Housing and Development Scheme aforesaid, any land in the area comprised in the scheme which may not be required for the execution thereof will in the opinion of the Board be increased in value, "betterment fee" in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 shall be payable by the owner of the land and by every person having an interest there in respect of the increase in the value of the land resulting from the execution of the scheme.

The map of the area, particulars of the scheme and details of the land proposed to be acquired may be seen at the Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of the Executive Engineer, Nirman Khand-15, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, H. No. 2-C, 120, 121, 122 Vrindavan Yojna 2, Rae Bareli Road, Lucknow on any working day between 11.00 a.m. and 3.00 p.m.

Objection to the scheme shall be received at the Office of the Housing Commissioner, (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow, or in the Office of the Executive Engineer, Nirman Kand-15, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, H. No. 2-C, 120, 121, 122, Vrindavan Yojna 2, Rae Bareli Road, Lucknow within 30 days from the date on which this notice is first published in Uttar Pradesh Gazette, correct name of the scheme and full particulars of the land/building/name of the village/khasara plot no./area of the land and other details of the objector etc. within the scheme, should be clearly mentioned in every objection.

Owners/occupiers of structures in the scheme area shall be liable to pay "Betterment fee, Development charges" to the Housing Board in accordance with the provisions of the Housing Board Act.

[7, 14 and 21-8-2004]

VIDYA NAND GARG,
Housing Commissioner.

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 7 अक्तूबर, 2006 ई० (आश्विन 15, 1928 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

अधिसूचना

मैं, राजीव अग्रवाल, जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी अनैतिक देह व्यापार (निरोधक) अधिनियम, 1956 संशो0 1986 की धारा 7 की उपधारा 1 (ए) (बी) एवं धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद वाराणसी की सीमा में स्थित किसी भी धार्मिक स्थल, शैक्षिक स्थल, हास्टल, होटल, हास्पिटल, नर्सिग होम, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पार्क, सिनेमा हाल तथा शिवदासपुर, ग्राम सभा क्षेत्र, थाना मडुवाडीह, दालमण्डी, थाना चौक क्षेत्र को एतद्द्वारा सार्वजनिक स्थल घोषित करता हूं।

अतएव, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकार के "सार्वजनिक स्थलों" तथा उसके आस-पास 200 मीटर की सीमा में अनैतिक देह व्यापार को निषिद्ध किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्थलों पर देह व्यापार करता अथवा करवाता हुआ पाया जाता है तो वह अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

दिनांक 29 अगस्त, 2006 ई0

राजीव अग्रवाल,
जिला मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

NOTIFICATION

I, Rajeev Agrawal, District Magistrate, Varanasi, in exercise of the powers conferred by the Immoral Traffick (Prevention) Act, 1956 amended upto 1986 under section 1(a), (b) and 3 of section 7, do hereby notified that any Religious/Educational Institutions, Hostels, Hospitals, Nursing homes, Railway/Bus stations, Parks, Cinema halls, red light area of Shivdaspur village, Police station Manduwadeeh, and Dalmandi, Police station Chauk and so on as a Public Place situated within the territorial limit of Varanasi District.

It is, therefore, notified in the interest and knowledge of common public that Prostitution is prohibited within 200 mtrs. of these public places. Any person who carry on prostitution and the person with whom such prostitution is carried on, shall be punished according to the provision of the I.T.P. Act, 1956.

This order will come inforce immediately.

RAJEEV AGRAWAL,
District Magistrate, Varanasi.

COMPANY NOTICE

In the Matter of the Companies Act, 1956

AND

In the Matter of Himalaya Remedies Private Limited

Having its Registered Office at Amar Ujala Street, Shahjahanpur Road, Bareilly, (U.P.).

Notice is hereby given that in the Extra Ordinary General Meeting of the Company convened and held on 24th Day of August, to 2006 at the registered office of the Company, the members have resolved to wind up the Company voluntarily.

It is certified that I have complied with all legal requirements in this connection.

For Himalaya Remedies Private Limited

RAHUL MAHESHWARI,

Director.

DATE : 24-08-2006

PLACE : Bareilly.

FORM No. 151

[(See Rule 315)]

Companies Act, 1956

Member's (or Creditor's) Voluntary Winding-up

Notice of appointment of liquidator pursuant to Section 516

Name of Company	:	Himalaya Remedies Private Limited.
Nature of Business	:	Industrial Gases.
Address of Regd. Office	:	Amar Ujala Street, Shahjahanpur Road, Bareilly.
Name and Address of Liquidator	:	Mr. Kamal Kumar Jhawar, Company Secretary 133-B, Madho Bari, Narkulaganj, Bareilly.
Date of Appointment	:	24-08-2006
By Whom Appointed	:	Share holders in their EGM held on 24-08-2006

It is certified that I have complied with all legal requirements in this connection.

For Himalaya Remedies Private Limited.

KAMAL JHAWAR,

Liquidator.

DATE: 24-08-2006

PLACE : Bareilly.

FORM 120

Notice to creditors of the date of hearing of an Insolvency Petition.

SECTION

In the Court of Judge Insolvency, Kanpur Nagar.

Insolvency Case No. 8 of 2006

1. Satish Kumar Sharma aged 50 years S/o Late Jaipal Sharma,
2. Smt. Uma Sharma aged 45 years W/o Satish Kumar Sharma Both R/o House No. 8/150 (First Floor) Arya Nagar, Kanpur. *Petitioners.*

Versus

1. Seth Ram Chandra adult son of Late Seth Mangal Das R/o 19 Mall Road, Kanpur.
2. Ram Singh son of Lakhan Singh R/o 324, Naubasta, Kanpur.
3. Sanjai Nigam adult son of S. S. Nigam R/o 104-A Ram Bagh, Kanpur.
4. Om Prakash son of Tapeshwar R/o 50/127 Halsey Road, Kanpur.
5. Neeraj Gupta adult son of Late Shyam Lal Gupta Resident of 2/413 Nawabganj, Kanpur.

..Respondents.

Whereas above named petitioners have applied to this court by a petition dated May 18, 2006 to be declared an Insolvent under the Provincial Insolvency Act, 2000 of 1920 and your name appears in the list of creditors filed by the aforesaid debtor. This is to give you notice that the court fixed October 15, 2006 for the hearing of the aforesaid petition and extention debtors. If you desire to be represented in the matter, you should attend in person or by duly instructed pleader.

DATED :

(Sd.) ILLEGIBLE,

Judge of Insolvency, Kanpur.

24-8-2006

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स तेजवीर सिंह, कान्ट्रैक्टर का कार्यालय 129/1, चन्दर नगर से प्लाट संख्या ई-1-ए, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर रोड, लखनऊ पर स्थानान्तरित हो गया है। कृपया भविष्य में फर्म से किये जाने वाले पत्राचार उपरोक्त पते पर ही करने का कष्ट करें।

पुराना पता—

129/1, चन्दर नगर,

आलम बाग, लखनऊ।

नया पता—

ई-1-ए, ट्रांसपोर्ट नगर,

कानपुर रोड, लखनऊ।

For M/s TEJVEER SINGH

Sd/- Illegible,

Patner.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[भूमि अर्जन अनुभाग]

30 सितम्बर, 2006 ई०

विज्ञप्ति

सं० 925/एल०ए०सी०/एच०क्यू०-111(2)—उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ० प्र० ऐक्ट संख्या 1, 1966) की धारा 32(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा यह विज्ञापित किया जाता है कि उ० प्र० राज्य सरकार ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 31(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ नामक योजना को, जो उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन उ० प्र० गजट दिनांक 7 अगस्त, 2004 के भाग 8 में पृष्ठ संख्या 221–222 पर प्रथम बार प्रकाशित हुयी थी और परिषद ने अपने संकल्प संख्या 189/3–8, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 द्वारा स्वीकृति प्रदान की थी, उ० प्र० राज्य सरकार ने आदेश संख्या 2104/आठ–आ–2–2004–4 एच०बी०/2005, दिनांक 29 सितम्बर, 2006 में इंगित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान कर दी है।

1—उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इस योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि जिसका उपयोग महायोजना में कृषि है, का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तन हो जाने के उपरान्त ही परिषद अधिनियम की धारा 32 (1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित कर निर्माण एवं विकास कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा परन्तु इस बीच योजना के प्रस्तावित क्षेत्र का ले आउट तैयार कर लिया जाय।

2—योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन की कार्यवाही निबंधित सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 4128/9–आ–3–2002–20एल०ए०/92(आ०ब०), दिनांक 22 अक्तूबर, 2002 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

3—योजना क्षेत्र के अन्तर्गत किसी प्रकार का निर्माण कार्य किए जाने से पूर्व नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक होगा तथा किसी भी भूमि का समायोजन शासन की पूर्वानुमति के बिना सम्भव नहीं होगा।

योजना में समाविष्ट ग्रामों की खसरा वार सूची निम्न प्रकार है—

ग्राम देवामऊ परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ खसरा संख्या 95 से खसरा संख्या 100, 103 से 109, 111 से 112, 114 से 118, 122, 125 से 193, 195 से 245, 24/246, 92/247 एवं 160/248।

ग्राम सरसवां परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ खसरा संख्या 1097 से 1226, 1229 से 1230, 1260 से 1391, 1293 से 1451, 1461, 1465 से 1470, 1472 से 1479, 1488 से 1490 1499 से 1501, 1504 से 1505, 1510 से 1513, 1516 से 1521, 1523 से 1525 तक।

ग्राम बरौली खलीलाबाद परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ खसरा संख्या 1571 से 1926 तक।

ग्राम बरौना परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ खसरा संख्या 01 से 116 तक।

ग्राम बुसेहरा परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ खसरा संख्या 01 से 508, 254/509 तक।

ग्राम हरिहरपुर परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ खसरा संख्या 215 से 217, 219, 222, 232 से 241, 246 से 256, 265 से 269, 275, 281 से 317, 319, 321 से 322, 324 से 337 339 से 349, 353, 356, 359, 371, 376 से 380, 383 से 384, 387, 390, 426 से 427, 429 से 432, 437, 441 से 442, 444 से 445, 447, 451 से 452, 458 से 461 471, 483, 485 से 488, 504 से 505, 507 से 508, 546 से 547, 557, 571, 573

588, 589, 632, 635 से 636, 639, 642 से 801, 804 से 805, 807, 817 से 818, 821 से 822, 827 से 830, 833 से 836, 839 से 841, 845 से 846, 852, 854 से 874 तक ।

ग्राम सेवई परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ खसरा संख्या 01 से 329 तक ।

ग्राम अहमामऊ परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ खसरा संख्या 1103 से 1110, 1112, 1113, 1122 से 1126, 1128 से 1131, 1137 से 1162, 1165 से 1175, 1207 से 1216, 1219 से 1234, 1236, 1246 से 1249 एवं खसरा संख्या 1269 ।

NOTICE

In pursuance of section 32 (1) of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Act 1965 (Uttar Pradesh Act 1 of 1966), it is hereby notified that the Govt. of Uttar Pradesh has in exercise of the powers conferred in section 31 (2) of the Adhiniyam sanctioned the scheme which was sanctioned by resolution no. 189/3-8 date September 10, 2004 by Board "Kanpur Sultanpur Road Bhumi Vikas Evam Grihasthan Yojna, Lucknow". The notification which was first published under section 28 of the said Adhiniyam on page No. 221-222 part VIII of the Uttar Pradesh Gazette dated August 7, 2004 and now sanctioned by the Govt. under the restrictions, vide order No. 2104/8-Aa-2-2004-4 HB 2005, date September 29, 2006 :

1. Land comprising in the scheme is agricultural in Maha Yojna, U. P. Avas Evam Vikas Parishad will execute development and construction work in the scheme land after change of land use in residential from agriculture and after publication notice under clause 32 (1) of Parishad Adhiniyam but meanwhile layout of the proposed area of the scheme be prepared.

2. The land of the registered Co-operative housing society framed under Govt. order no. 4128/9-Aa-3-2002-20 L. A. (Avas Bandhu), date October 22, 2002 in the scheme area will be adjusted as per prescribed rules.

3. The map will be got sanctioned before starting any type of consruction works in the scheme area and no land will be adjusted prior to Government approval. Village and Khasrawise list of land comprising in the yojna is as under—

Village Devamau, Pargana Bijnour Tahasil and District Lucknow Khasara 95 to Khasara no. 100, 103 to 109, 111 to 112, 114 to 118, 122, 125 to 193, 195 to 245, 24/246, 92/247 and 160/248.

Village Sarsavan Pargana Bijnour Tahasil and District Lucknow Khasara 1097 to 1226, 1229 to 1230, 1260 to 1391, 1293 to 1451, 1461, 1465 to 1470, 1472, to 1479, 1488 to 1490, 1499 to 1501, 1504 to 1505, 1510 to 1513, 1516 to 1521, 1523 to 1525.

Village Barouli Khalilabad Pargana Bijnour Tahasil and District Lucknow Khasara 1571 to 1926.

Village Barouna Pargana-Bijnour Tahasil and District Lucknow Khasara 01 to 116; Village Ghusval Kala Pargana Bijnour Tahasil and District Lucknow Khasara 01 to 508, 254/509.

Village Hariharpur Pargana Bijnour Tahasil and District Lucknow Khasara 215 to 217, 219, 222, 232 to 241, 246 to 256, 265 to 269, 275, 281 to 317, 319, 321 to 322, 324 to 337, 339 to 349, 353, 356, 359, 371, 376 to 380, 383 to 384, 387, 390, 426 to 427, 429 to 432, 437, 441 to 442, 444 to 445, 447, 451 to 452, 458 to 461, 471, 483, 485 to 488, 504 to 505, 507 to 508, 546 to 547, 557, 571, 573, 588, 589, 632, 635 to 636, 639, 642 to 801, 804 to 805, 807, 817 to 818, 821 to 822, 827 to 830, 833 to 836, 839 to 841, 845 to 846, 852, 854 to 874.

Village Sevain Pargana Bijnour, Tahasil and District Lucknow Khasara 01 to 329 Village Ahmamau Pargana Bijnour Tahasil and District Lucknow Khasara 1103 to 1110, 1112, 1113, 1122 to 1126, 1128 to 1131, 1137 to 1162, 1165 to 1175, 1207 to 1216, 1219 to 1234, 1236, 1246 to 1249 and Khasara no. 1269.

डा0 एम0 ए0 ए0 खान,
आवास आयुक्त ।

पी0 एस0 यू0 पी0—28 हिन्दी गजट—भाग 8—2006 ई0 ।

मुद्रक और प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।